न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 11/2018

RCMS No. 2018/00140

प्रार्थी:–

चम्पालाल पुत्र कस्तूरचंद जाति मालवीय लौहार निवासी जाणुंदा

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. संतोष पत्नी रमेश कुमार
2. रमेश पुत्र कस्तूरचन्द
3. रामप्यारी पत्नी कस्तूरचंद जातिगण मालवीय लौहार निवासीगण जाणुंदा तहसील मारवाड़ जंक्शन
4. ग्राम पंचायत जाणुंदा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:– 31/12/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जाणुन्दा द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का पुश्तैनी मकान बना हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के दादा द्वारा मकान निर्माण करवाया गया था। उक्त भूमि किसी भी रूप में अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी कार्य के सिलसिले में अहमदाबाद में अस्थाई तौर पर रहता है, इस बात का नाजायज लाभ प्राप्त करने की मंशा से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना नहीं की है। न तो सन्तोषदेवी द्वारा विधिवत आवेदन पेश किया एवं न तो आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना किए बिना एवं बिना मिसल कायम किए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी

अति० जिला कलक्टर, पाली

किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी का मुख्य आधार जैर निगरानी विवादित आराजी पुश्तैनी होना बताया है।, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त भूमि पुश्तैनी होना साबित होती हो। जैर निगरानी विवादित आराजी कस्तूरचंद की सम्पति थी, जो कस्तूरचंद द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को वसीयत की है। इसी आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मिसल कायम कर नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत है। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान बना हुआ है, जिसमें अप्रार्थीगण का रहवास है। इसी भूमि को लेकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसे बाद अनुसंधान झूठी मानते हुए पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी का परिवाद झूठा माना है। वहां से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी विवादित आराजी को अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की है, वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी विवादित आराजी को अपने ससुर कस्तूरचंद की होना बताते हुए उसके द्वारा वसीयत के रूप में स्वयं के पक्ष में अन्तरण होने के पश्चात ग्राम पंचायत से विधिवत कार्यवाही के जरिये पट्टा प्राप्त किया जाना जाहिर किया। ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें यह जाहिर किया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में जैर निगरानी पट्टे की मिसल उपलब्ध ही नहीं है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है, उनमें जैर निगरानी पट्टे की मिसल की प्रति संलग्न है। उक्त मिसल के आधार पर निगरानी के परीक्षण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी विवादित आराजी का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 180 कायम की गई एवं ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत की गई, जिन्होने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.04.2013 को पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत की। इस पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। गवाहों ने अपने बयानों में उक्त भूमि कस्तूरचंद की होना बताया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का निवास होना जाहिर किया। इन समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं

अति० जिला कलक्टर, पाली

तथ्यात्मक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। चूंकि प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा जैर निगरानी मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त मिसल की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कार्यालय से रेकर्ड अनुपलब्ध होना गंभीरता का विषय है। अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन को निर्देश दिये जाते है कि वे इस सम्बन्ध में जांच कर दोषी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें, साथ ही ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जाणुन्दा को आदेश दिये जाते है कि वे जैर निगरानी मिसल पंचायत कार्यालय से अनुपलब्ध होने को देखते हुए सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करावें एवं इस न्यायालय को सूचित करें।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जाणुन्दा द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 64 दिनांक 05.07.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत जाणुन्दा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जाणुन्दा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली